राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 12/19

दायर दिनांक 12.06.2019

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. जीवण खां दत्तक पुत्र महताब खां जाति मुसलमान निवासी पनेर तहसील रूपनगढ़
2. शाख प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा रूपनगढ़

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधि0 1955

निर्णय दिनांक 23.02.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पनेर पटवार हल्का पने भू–अ0नि0 क्षेत्र रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर में कृषि भमि ख0न0 484 रकबा 5.2180 हैक्टर किस्म चाही–3 2.3622 है0 बंजर–1 1.7717 है0 बंजर–2 0.2509 है0 बारानी–2 0.8332 है0 भूमि स्थित है जो कि अप्रार्थी संख्या 1 जीवण खां दत्तक पुत्र महताब खां जाति मुसलमान सा0 पनेर खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा रूपनगढ़ के नाम राजस्व रिकार्ड सेग्रीगेशन जमाबंदी सम्वत् 2071–74 के खाता संख्या 114 पर दर्ज है। प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ भूमिधारक है। अप्रार्थी संख्या 1 भूमि का खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी भूमिधारक से अप्रार्थी संख्या 1 ने बतौर खातेदार के भूमि धारित की है। वाद अधीन भूमि कृषि भूमि है। जिस पर खेती काश्त करने के अलावा अप्रार्थी संख्या 1 अन्य कोई अकृषि कार्य नहीं कर सकता है। अप्रार्थी संख्या 1 अकृषि कार्य करने के लिए अधिकृत नही है। खनिज अभियन्ता अजमेर व पटवारी हल्का पनेर द्वारा दिनांक 08.05.2019 को तैयार संयुक्त मौका पंचनामा रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार ग्राम पनेर के ख0न0 484 रकबा 5.2180 है0 में अवैध बजरी खनन के दो पिट/ गड्डे जिनमे ताजा बजरी खनन किया हुआ पाया गया है एवं वक्त मौका जांच अवैध खनन पिटों/ गड्डो में कोई मशीनरी/मजदूर/खनन औजार नही पाये गये। मौके पर ताजा वाहनों के आवागमन के टायरों के निशानात पाये गये है एवं मौके पर आराजी ख0न0 483 गै0मु0 चाह को मुश्तकिल बिन्दु मानते हुए खनन पिटों की नपाई की गई जो कि संलग्न रिपोर्ट अनुसार है वक्त मौका पंचनामा खातेदार या उसका कोई प्रतिनिधि उपस्थित नही मिला। खातेदारी खेत में खुदे हुए खनन पिट–1 में औसतन बजरी की गहराई लगभग 2 मीटर तथा अवैध खनन पिट की उपरी सतह से हटाई गई मिट्टी की औसतन गहराई 1.5 मीटर है जो कि मौकें पर खनन पिट के आस–पास पड़ी हुई है। खनन पिट संख्या 1 से खनन कर निर्गमित की गई बजरी की मात्रा 106 वर्गमीटर x 2 मीटर = 212 घनमीटर है एवं कुल 296.8 टन खनिज बजरी का अवैध खनन कर अवैध रू[illegible] प्रकार खनन पिट सं0 2 से निकाले गये बजरी खनन की मात्रा 632 वर्गमीटर x 1.[illegible]टर [illegible]48 घनमीटर है एवं कुल 1327.2 टन खनिज बजरी का अवैध खनन कर अवैध रू0 से निर्ग[illegible]या है। इस पिट से 1.5 मीटर उपरी सतह से साधारण मिट्टी हटा[illegible] आस–पास पड़ी हुई है एवं बजरी की औसतन गहराई 1.5 मीटर है। उक्त दोनों अवैध बजरी खनन पिटों [illegible] निर्गमित खनिज बजरी की [illegible] लगभग 1624 टन है जिसकी पैनल्टी राशि 35/– रू. प्रति टन की 10 गुणा राशि रूपये 568400/– मय अवैध खनन पिट 25000/– अर्थात कुल 593400/– (अक्षरे पांच लाख तिरानवे हजार चार सौ रूपये) बनती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.03.22 14:50:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

संयुक्त मौका पंचनामा रिपोर्ट के मुताबिक मौका स्थिति के अनुसार स्पष्ट जाहिर होता है कि अवैध बजरी का खनन खातेदार द्वारा ही किया व करवाया जा रहा है।

खातेदारी खाते में वर्तमान में खनिज विभाग द्वारा कोई वैध खनन पट्टा/L.O.I. स्वीकृति नही की हुई है अतः खातेदारी खेत में किया हुआ बजरी खनन अवैध बजरी खनन (अकृषि कार्य) की श्रेणी में आता है। अर्थात उक्त खसरा नम्बर में 0.0738 हैक्टर भूमि पर कृषि कार्य नही किया जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में अवैध खनन कार्य कर अवैध रूप से बजरी खनन कार्य किया जा रहा है, जो कि नियम विरूद्ध कार्य है। इस प्रकार यह स्पष्ट तौर पर अप्रार्थी संख्या 1 का कृत्य कृषि भूमि पर अकृषि कार्य करने की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी संख्या 1 को यह अधिकार नहीं है कि बिना सक्षम स्वीकृति के वह कृषि भूमि पर किसी प्रकार कोई अकृषि कार्य कर भूमि के स्वरूप को बदलेगा अथवा भूमि की मृदा को नष्ट, खुर्द–बुर्द कर सकेगा। अप्रार्थी द्वारा वाद अधीन कृषि भूमि ख0न0 484 रकबा 5.2180 है0 में से 0.0738 है0 भूमि पर अकृषि कार्य अवैध बजरी खनन कार्य करने से नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदार अधिकार समाप्त किये जाकर अप्रार्थी संख्या 1 को भूमि से बेदखल किया जाकर भूमि को भूमिधारक के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। इसलिये यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार समाप्ति बाबत प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। दिनांक 07.06.2019 को पटवारी हल्का पनेर द्वारा खनिज अभियन्ता अजमेर व पटवारी हल्का पनेर द्वारा तैयार संयुक्त मौका पंचनामा रिपोर्ट दिनांक 08.05.2019 प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वाद अधीन भूमि ग्राम पनेर के ख0न0 484 रकबा 5.2180 है0 में से 0.0738 है0 भूमि पर अवैध बजरी खनन कार्य करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 की तरफ से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार अप्रार्थी के ख0न0 484 रकबा 5.2180 हैक्टर भूमि में किसी प्रकार का बजरी का अवैध खनन नही किया गया है बल्कि अप्रार्थी उक्त कृषि आराजी पर फसले बोता आ रहा है तथा पशुओ को चराने के काम में लेता आ रहा है। जिसमें खरीफ की फसल, मोठ,ज्वार,बाजरा,मूंग इत्यादि की फसल बाई गई थी। रबी की फसल में गेहूं, इसबगोल,रजका,चना की बुवाई कर फसल ली गई है। जिसका गिरदावरी संवत् 2075 में भी अंकन है तथा वर्तमान में उक्त ख0न0 484 में बाजरा व तिल बोया हुआ है। दिनांक 08.05.2019 की जो मौका पर्चा रिपोर्ट प्रार्थी ने प्रस्तुत की है , वो गलत है बल्कि वास्तविकता यह है कि यह कृषि आराजी शुरू से उबड़–खाबड़ है व बहाव क्षेत्र में है तथा जलग्रहण हेतु बहाव क्षेत्र को रोका गया है। जिससे खड्डे प्रतीत होते है। बल्कि अवैध खनन के किसी प्रकार के खड्डे नही है। जलग्रहण के तहत किया गया कार्य भूमि सुधार के अन्तर्गत आता है तथा अप्रार्थी के ख0न0 484 में किसी प्रकार के कोई खड्डे या पीट नही थे बल्कि पड़ोस के खसरा नम्बरान में खड्डे बने हुये है उन खड्डों को प्रार्थी के खसरा में खड्डा मानते हुए गलत रिपोर्ट तैयार कर पेश की है तथा जो रिपोर्ट बनायी गयी है उस समय अप्रार्थी को किसी प्रकार का नोटिस देकर तलब नही किया गया है और अप्रार्थी की अनुपस्थिति में जो रिपोर्ट बनायी गई है वह गलत होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा साक्ष्य हेतु शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया जिस पर जिरह की गई। प्रकरण में मौका निरीक्षण संबंधी मौका रिपोर्ट मंगवायी गई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त आराजी में बाजरा, ग्वार ,तिल की फसल काश्त होने का उल्लेख किया है। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अध्ययन,अवलोकन एवं बहस पर मनन किया। चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब में उल्लेख किया है कि उसने वादग्रस्त भूमि में अवैध खनन नहीं कर भूमि सुधार का कार्य किया है। वादग्रस्त भूमि में खड्डे प्राकृतिक रूप से होने [illegible] किया है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न खसरा गिरदावरी सवत् 2075 [illegible] है, इसके अलावा अन्य कोई साक्ष्य प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया है। वहीं तहसीलदार [illegible] से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 11.10.2021 अनुसार भी वादग्रस्त भूमि में फसल काश्त होने का उल्लेख है जिससे यह प्रतीत होता है कि बार–बार अकृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। खनिज विभाग अपने विभागीय नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.03.22 11:50:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड रूपनगढ़)